कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 182/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 11.05.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 11.05.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक– 11.05.2026

थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

09 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल, गिरफ्तार

पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, मोबाइल व नगदी बरामद

थाना तहबरपुर पुलिस की तत्पर कार्रवाई से गंभीर अपराध का मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत

पूर्व की घटना-

दिनांक 09.05.2026 को थाना तहबरपुर क्षेत्रान्तर्गत वादी मुकदमा की लगभग 09 वर्षीय भान्जी, जो घर के बाहर खेल रही थी, के साथ अभियुक्त नखडू उर्फ साहब पुत्र बेचन निवासी ग्राम महुवार थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ ने दुष्कर्म की घटना कारित किया थी, जिससे बालिका गंभीर रूप से घायल हो गयी तथा जिला अस्पताल में उपचाररत है। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना तहबरपुर पर मु0अ0सं0- 70/2026 धारा 65(2) बी0एन0एस0 व धारा 5m/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी।

गिरफ्तारी/मुठभेड़ का विवरण-

दिनांक 10.05.2026 को थानाध्यक्ष तहबरपुर उ0नि0 आदित्य कुमार सिंह मय हमराह एवं उ0नि0 लोकेश मणि त्रिपाठी मय हमराह टीकापुर तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त नखडू उर्फ साहब रैसिंहपुर होकर मंझारी बाजार की तरफ पैदल जा रहा है। सूचना पर उ0नि0 मानचन्द्र यादव मय हमराह को रैसिंहपुर की तरफ से घेराबंदी हेतु निर्देशित करते हुए पुलिस टीम मौके की ओर रवाना हुई।

करियावर चौहान बस्ती के सामने पुल के पास संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जो पुलिस टीम को देखकर भागने लगा तथा दुसरी ओर से आ रहे उ0नि0 मानसिंह यादव मय हमराह से स्वयं को घिरता देख पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मसमर्पण हेतु पर्याप्त चेतावनी दिए जाने के बावजूद अभियुक्त ने पुनः तमंचा तान दिया । इस पर थानाध्यक्ष तहबरपुर उ0नि0 आदित्य कुमार सिंह द्वारा आत्मसुरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गयी, जिसमें अभियुक्त के **दाहिने पैर में गोली** लग गयी।

घायल अभियुक्त की **पहचान नखडू उर्फ साहब पुत्र बेचन निवासी ग्राम महुवार थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष के रूप** में हुई। अभियुक्त के कब्जे से **01 देशी तमंचा .315 बोर, 01 खोखा कारतूस,**

01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 मोबाइल फोन तथा 820 रुपये नगद बरामद हुए। घायल अभियुक्त को आज दिनांक 11.05.2026 को समय करीब 00:15 बजे पुलिस अभिरक्षा में **उपचार हेतु सीएचसी तहबरपुर** भेजा गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना तहबरपुर पर **मु0अ0सं0- 71/2026 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 9/25/27 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी/मुठभेड़ में सम्मिलित पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष तहबरपुर उ0नि0 आदित्य कुमार सिंह, का0चा0 ताहिर अली, का0 अरविन्द कुमार, का0 सत्यम सिंह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 लोकेश मणि त्रिपाठी, का0 मिथिलेश कुमार शाह, का0 सूरज यादव थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
3. उ0नि0 मानचन्द्र यादव, का0 बृजेश कुमार यादव, का0 अनुप कुमार यादव थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।